

न्यायालय मुन्सिफ

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0-92 सन् 2021

वीवी कनीजा फातमा वो अन्य.....वादीगण।

बनाम

श्रीमती अनीता देवी वो अन्य.....प्रतिवादीगण।

दिनांक- 04.01.2023

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख प्रतिवादी की ओर से दिनांक 22.09.2022 को दाखिल आवेदन पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

प्रतिवादी की ओर से आवेदन में कथन है कि प्रस्तुत वाद में वादी सं0 01 की भूमि पर अपने हकियत की घोषणा तथा दखल कब्जा के संपुष्टि हेतु साथ केवला दिनांक 31.03.2021 को गलत एवं गैर कानूनी घोषित कराए जाने हेतु साथ ही दखल कब्जा प्राप्त किए जाने हेतु एवं स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पारित किए जाने हेतु दायर किया है तथा वाद का मुल्यांकन सिर्फ 10000/- रूपया दर्ज किया है जबकि केवाला दिनांक 31.03.2021 जिसे नाजायज घोषित किए जाने का प्रतिकार मांगा गया है वो उक्त दस्तावेज का केस भैल्यू ढाई लाख रूपया है। वैसी स्थिति में वाद का मुल्यांकन कम से कम ढाई लाख रूपया होना चाहिए जबकि इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार केवल डेढ लाख रूपया है। इस प्रकार प्रस्तुत वाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार से परे हैं और इस न्यायालय में पोषणीय नहीं है। अतः निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों पर विचार करते हुए प्रस्तुत वाद में किसी भी अग्रिम कार्यवाही के पूर्व उक्त न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर सुनवाइ किए जानक का आदेश पारित किया जावे।

वादीगण की ओर से प्रतिवादीगण के उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दिनांक 20.10.2022 को दाखिल कर कथन है कि उपरोक्त वाद में प्रतिवादीगण का खिलाफ वादीगण जिस उनवान वो बयान के साथ आवेदन दाखिल किए हैं वो किसी तरफ कानूनन मंजूर होने योग्य नहीं है। प्रतिवादीगण ने जो आवेदन में कथन किए हैं कि वादी सं0 01 ने जा दस हजार जरसम्मन अपने वादपत्र में दिए हैं वो उनके अंकित दस्तावेज में बालेश्वर भकृ बनाम वादी सं0 01 बीबी कनीज फातमा दिनांक 27.04.1992 के खरीदी दस्तावेज के अनुसार भुगतान है। प्रतिवादी सं0 01 अनीता देवी ने जो अपने खरीदी बैनामा दस्तावेज दिनांक 31.03.2021 को प्रतिवादी सं0 02 ता 05 से खरीदी उसका कीमत दो लाख रूपया दर्ज किया जिसमें अलग से 6 फीट तीन चाहर दिवारी खर्च 50,000/- रूपया किए जिसमें जायदाद 12 धुर 1 धुरकी 13 फुरकी जमीन का

कीमत अंकित है। जबकि तकरारी सिडियुल मात्र 3 धुर साढे सात धुरकी ही है। जो बिना किसी चाहरदिवारी का ही है। केवल जमीन का कीमत ही है और समय भी वर्ष 1992 से 2021 के बीच का है। प्रतिवादी सं० 01 ने अपने खरीदी बैनामे में खाता सं० 289 सर्वे नं० 972 रकबा 6 धुर 15 धुरकी का कीमत जरसमन्न एक लाख दस हजार दिए है इसमें करारी सिडियुल एकमात्र 3 धुर साढे सात धुरकी खाली जमीन नहीं आवासीय करके दर्शाये हैं इस तरह से भी मात्र 55000/- रूपया 29 वर्ष वादी के कृत बैनामे के बाद के तिथि का है। प्रतिवादीगण अपने बैनामे के चौहदी में किसी तरफ आवासीय रास्ता नहीं दर्शाये हैं। माननीय न्यायलय क 1 क्षेत्राधिकार प्रतिवादीगण के अंकित आवेदन के अनुसार 1 लाख 50 हजार है वैसी स्थिति में 3 धुर साढे सात धुरकी का कीमत मात्र 55000/-रूपया ही होता है। प्रतिवादीगण 12 धुर 1 धुरकी 13 फुरकी का कीमत दो लाख अंकित किए हैं। माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में यह वाद बिल्कुल कानूनन सही है। वादी ने जो न्यायशुल्क दिए है अपने बैनामा के अनुसार सही दिए हैं। अतः निवेदन है कि प्रतिवादीगण का आवेदन उपरोक्त तरदिद के आधार पर खर्चा के साथ खारिज करने की कृपा की जाए ताकि वादीगण हकरसी होवे।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में वादी के द्वारा दायर वाद में वाद का मूल्यांकन एक लाख रूपया किया गया। जिसका प्रतिवादी के द्वारा विरोध किया गया है एवं कहा गया है कि उक्त संपत्ति का मूल्य ढाई लाख रूपये हैं एवं वाद का मूल्यांकन कम किया गया है। वादी का इस बिन्दु पर कहना है कि माननीय न्यायलय का क्षेत्राधिकार प्रतिवादीगण के अंकित आवेदन के अनुसार 1 लाख 50 हजार है वैसी स्थिति में 3 धुर साढे सात धुरकी का कीमत मात्र 55000/-रूपया ही होता है। प्रतिवादीगण 12 धुर 1 धुरकी 13 फुरकी का कीमत दो लाख अंकित किए हैं। माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में यह वाद बिल्कुल कानूनन सही है। वादी ने जो न्यायशुल्क दिए है अपने बैनामा के अनुसार सही दिए हैं। उभय पक्ष के सुनने एवं अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वाद का मूल्य का मूल्यांकन सही किया गया है। ऐसी परिस्थिति में प्रतिवादी की ओर से दाखिल क्षेत्राधिकार से संबंधित आवेदन पोषणीय नहीं है, जिसके कारण खारिज किया जाता है।

वाद दिनांक ..... को सुनवाई हेतु।

मुन्सिफ

सोनपुर सारण।